रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 542] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 1985/कार्तिक 23, 1907
No. 542] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 14, 1985/KARTIKA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1985

का आ 827 (अ)—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 27 के स्पष्टीकरण (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० का आ 825 (अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985 को आंशिक रूप से उपांतरित करते हुए नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित स्वापक औषधि के संबंध में उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित तत्स्थानी मात्रा को उस धारा के प्रयोजनों के लिए "छोटी मात्रा" के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

सारणी

क्रम संख्या	स्वापक औषधि का नाम	मात्रा
(1)	(2)	(3)
1.	हेरोइन या वह औषधि जो सामान्यतया ब्राउन शुगर या स्मैक के नाम से ज्ञात है	250 मिलीग्राम
2.	हशिश या चरस	5 ग्राम
3.	अफीम	5 ग्राम
4.	कोकेन	125 मिलीग्राम
5	गांजा	500 ग्राम

[सं. 12/85/फा. सं 664/51/85-सीमा]

बी. आर. रेड्डी, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th, November, 1985

S.O. 827 (E) .—In exercise of the powers conferred by Explanation (1) to section 27 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and in partial modification of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. S.O. 825 (E), dated the 14th November, 1985 the Central Government hereby specifies the quantity mentioned in Column (3) of the Table below, in relation to the narcotic drug mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, as "small quantity" for the purposes of that section.

TABLE

Serial No.	Name of Narcotic Drug	Quantity
(1)	(2)	(3)
1.	Heroin or drug commonly known as Brown Sugar or Smack	—250 milligrams
2.	Hashish or Charas	—5 grams
3.	Opium	—5 grams
4.	Cocaine	—125 milligrams
5.	Ganja	—500 grams

[No. 12/85/F.No. 664/51/85-OPIUM]

B.R. Reddy, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985